

इसे वेबसाईट [www.govtpressmp.nic.in](http://www.govtpressmp.nic.in) से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



# मध्यप्रदेश राजपत्र

## ( असाधारण )

### प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 305 ]

भोपाल, सोमवार, दिनांक 26 जुलाई 2021—श्रावण 4, शक 1943

खनिज साधन विभाग  
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल  
भोपाल, दिनांक 26 जुलाई 2021

क्र. एफ-19-3-2017-बारह-1-पार्ट.—खान एवं खनिज (विकास तथा विनियमन) अधिनियम, 1957 (1957 का 67) की धारा 15 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, मध्यप्रदेश गौण खनिज नियम, 1996 में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात्:—

संशोधन

उक्त नियमों में, नियम 68 में, उप-नियम (6) में, खण्ड (ब) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड स्थापित किया जाए, अर्थात्:—

“(ब) शासकीय एवं निजी भूमि से खनिज की परिवहन अनुज्ञा जारी करने से पूर्व, ऐसे खनिज पर देय रायल्टी के समतुल्य राशि अग्रिम जमा की जायेगी.”

No. F. 19-3-2017-XII-1-Part.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 15 of the Mines and Minerals (Development and Regulation) Act, 1957 (67 of 1957), the State Government, hereby, makes further amendment in the Madhya Pradesh Minor Mineral Rules, 1996, namely:—

AMENDMENT

In the said Rule, In rule 68, in sub-rule (6), for clause (b), the following clause shall be substituted, namely:—

“(b) Prior to issuance of transport permit of mineral from government and private Land, the value equivalent to the payable royalty of such mineral shall be deposited in advance.”

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
आर. आर. भोंसले, अपर सचिव.